न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 179/2022 (2022/778)

1. वीरभद्र सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. श्रीमान तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर

--अप्रार्थी

2. पदमनी कुमारी पुत्री नरपतसिंह
3. रोहिणी कुमारी पुत्री नरपतसिंह
4. शक्ति प्रतापसिंह पुत्र देवी प्रतापसिंह
5. शालिनी कुमारी पुत्री देवी प्रतापसिंह
6. जयप्रतापसिंह पुत्र देवी प्रतापसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

--प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितः-
श्री हनुमान प्रसाद शर्मा :- अधिवक्ता प्रार्थी
पेराकार सरकार :- जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 20/4/2023

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत वादवर्णित आराजीयात वाके ग्राम देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

खाता संख्या नया-पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
105-88	729	0.40	पेटा तालाब
	कुल किता 1	कुल रकबा 0.40 हैक्टर	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है जिसमें प्रार्थी व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण का ही हक व हिस्सा है तथा अन्य अप्रार्थीगण या अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नही है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है। आराजीयात के पडोसी खातेदार जो कि स्थायी सीमा चिन्ह नही होने के कारण आये दिन फसल काश्त करते समय एवं फसल की सुरक्षा हेतु तारबंदी करते समय विवाद उत्पन्न करते है व अवैध तथा गैरकानूनी तरीके से कब्जा करने की नियत से हैरान व परेशान करते रहते है एवं अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काश्त करने पर आमादा रहते है। प्रार्थी द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने तथा जबरन बेदखल करने की धमकियां देते है जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजीयात का नाप चोप कर स्थायी सीमा चिन्ह अंकित या स्थापित नही किये जाते है तो प्रार्थी को अनेकानेक न्यायिक कार्यवाहियो में उलझना पडेगा तथा अपने हक हिस्से की आराजीयात से वंचित होना पडेगा। इसलिए उक्त आराजीयात पर स्थायी पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जि. अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र वास्ते अप्रार्थीगण 1 लगायत 23 का नाम डिलीट करने बाबत पर प्रार्थी को सुना जाकर अप्रार्थीगण 1 लगायत 23 के नाम पत्रावली में विलोपित किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी की ओर से जवाब सरकार की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम खेगांव तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया पुराना 105–88 में दर्ज खसरा संख्या 729 रकबा 0.40 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner